रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 433] नई दिल्ली, शनिवार, फरवरी 22, 2014/फाल्गुन 3, 1935
No. 433] NEW DELHI, SATURDAY, FEBRUARY 22, 2014/PHALGUNA 3, 1935

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 21 फरवरी, 2014

का.आ. 513 (अ).—केन्द्रीय सरकार को ऐसा प्रतीत होता है कि लोक हित में यह आवष्यक है कि गुजरात राज्य में सलाया से उत्तर प्रदेष राज्य में मथुरा तक पेट्रोलियम क्रूड के परिवहन के लिए ''सलाया—मथुरा पाइपलाइन के अन्तर्गत डी—बॉटलनेकिंग परियोजना'' के क्रियान्वयन हेतु इंडियन ऑयल कॉर्पोरेषन लिमिटेड द्वारा एक पाइपलाइन बिछाई जानी चाहिए;

और केन्द्रीय सरकार को उक्त पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवष्यक प्रतीत होता है कि उक्त भूमि में, जिसके भीतर उक्त पाइपलाइन बिछाई जाने का प्रस्ताव है और जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए;

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन्स (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उप—धारा (1) द्वारा प्रदत्त षक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आषय की घोषणा करती है;

कोई भी व्यक्ति, जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि से हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको, भारत के राजपत्र में यथा प्रकाषित इस अधिसूचना की प्रतियाँ जनसाधारण को उपलब्ध करा दी जाती हैं, इक्कीस दिन के भीतर, श्री संजीव कुमार पाण्डेय, सक्षम प्राधिकारी (राजस्थान), इंडियन ऑयल कॉर्पोरेषन लिमिटेड (पाइपलाइन्स प्रभाग), निर्माण कार्यालय, प्लॉट नं. 38—39, एसडीसी विनय ब्लॉक द्वितीय, चौथा तल, मौजी कॉलोनी, मालवीय नगर, जयपुर राजस्थान—302017 को लिखित रूप में आपत्तियां प्रस्तुत कर सकेगा।

अनुसूची

तहसील : देसूरी	जिला : पाली			राज्य : राजस्थान	
क्रम सं.	ग्राम का नाम	खसरा संख्या	क्षेत्रफल		
			हेक्टेयर	एयर	वर्ग मीटर
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	बडौद	393	00	16	80
2	पदमपुरा	96	00	08	80
		92	00	12	00
		107	00	00	80
		87	00	10	50
		88	00	03	90
		86	00	13	20

[फा. सं. आर–25011/7/2011–ओआर–I]

पवन कुमार, अवर सचिव

MINISTRY OF PETROLEUM AND NATURAL GAS

NOTIFICATION

New Delhi, the 21st February, 2014

S.O. 513(E).—Whereas, it appears to the Central Government that it is necessary in the public interest that for the transportation of petroleum crude from Salaya in the State of Gujarat to Mathura in the State of Uttar Pradesh a pipeline should be laid for implementing De-Bottlenecking Project under Salaya-Mathura Pipeline by the Indian Oil Corporation Limited;

And whereas, it appears to the Central Government that for the purpose of laying the said pipeline, it is necessary to acquire the right of user of the land under which the said pipeline is proposed to be laid, and which is described in the Schedule annexed to this notification;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government hereby declares its intention to acquire the right of user therein;

Any person, who is interested in the land described in the said schedule, may submit objections in writing to Shri Sanjeev Kumar Pandey, Competent Authority (Rajasthan), Indian Oil Corporation Limited (Pipelines Division), Construction Office, Plot No. 38-39, SDC Vinay Block II, 4th floor, Mauji Colony, Malviya Nagar, Jaipur, Rajasthan-302017, within twenty-one days from the date on which the copies of this notification issued under sub-section (1) of Section 3 of the said Act, as published in the Gazette of India, are made available to the general public.

SCHEDULE

Tehsil : Desuri		**District : Pali**			**State : Rajasthan**
Sl. No.	Name of Village	Khasra No.	Area		
			Hectare	Are	Square Metre
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Barod	393	00	16	80
2	Padampura	96	00	08	80
		92	00	12	00
		107	00	00	80
		87	00	10	50
		88	00	03	90
		86	00	13	20

[F. No. R-25011/7/2011 -OR-I]

PAWAN KUMAR, Under Secy.

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.